1 सामाजिक अनुसन्धान : अर्थ, अध्ययन-क्षेत्र, महत्व एवं चरण

[SOCIAL RESEARCH : MEANING, SCOPE, IMPORTANCE AND STEPS]

मानव ने अपने प्रयत्नों से समस्त प्राकृतिक घटनाओं, अज्ञात तथ्यों, मानव व्यवहारों एवं व्यवहार के प्रेरक कारकों के बारे में सब कुछ ज्ञात कर लिया हो, ऐसी बात नहीं है। अपने सम्पूर्ण प्रयत्नों के बाद भी मानव की खोजमूलक प्रवृत्ति आज भी जारी है। सच तो यह है कि अपने जीवन के चारों ओर की घटनाओं को समझने का हम जितना अधिक प्रयत्न करते हैं, हमारी जिज्ञासाएँ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं। मानव केवल एक जिज्ञासु प्राणी ही नहीं बल्कि एक खोजमूलक प्राणी भी है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने चारों ओर की सभी घटनाओं का कारण जानने का प्रयत्न करता है तथा उन नियमों को ढूँढ़ने में व्यस्त रहता है जो हमारी सभी प्रेरणाओं, व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों का वास्तविक आधार हैं। **मानव की जिज्ञासा का आधार चाहे प्राकृतिक दशाएँ हों अथवा सामाजिक जटिलताएँ, इनसे सम्बन्धित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना तथा प्राप्त ज्ञान का सत्यापन करना ही अनुसन्धान है।** यह प्रक्रिया जब सामाजिक घटनाओं से सम्बद्ध हो जाती है, तब इसी को हम सामाजिक अनुसन्धान कहते हैं। वास्तव में, **अनुसन्धान, शोध, अन्वेषण अथवा गवेषणा** का तात्पर्य किसी विशेष जिज्ञासा के सन्दर्भ में इस प्रकार गहन अध्ययन करना है जिससे वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करके नये सिद्धान्तों का निर्माण किया जा सके अथवा वर्तमान दशाओं के अन्तर्गत प्राचीन सिद्धान्तों की सत्यता का मूल्यांकन किया जा सके। यह एच है कि एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है लेकिन तो भी आज जिन विकसित पद्धतियों एवं प्रविधियों की सहायता से सामाजिक घटनाओं में व्याप्त आधारभूत नियमों को जानने का प्रयत्न किया जा रहा है, वह विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की परिपक्वता का परिचायक है।

सामाजिक अनुसन्धान का अर्थ एवं प्रकृति
(MEANING AND NATURE OF SOCIAL RESEARCH)

सामाजिक अनुसन्धान क्या है ? इस विषय का विश्लेषण करते समय हमारे सामने अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि सामाजिक अनुसन्धान का तात्पर्य मानवीय क्रियाओं के सभी पक्षों से सम्बन्धित यथार्थ ज्ञान का निरन्तर संग्रह करना है। यदि हम इस व्याख्या को स्वीकार कर लें तो हमारे सामने तुरन्त एक दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न हो जाता है कि मानवीय क्रियाओं का यथार्थ ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में एक सरल तरीका यह हो सकता है कि विभिन्न विचारक जिन सैद्धान्तिक मान्यताओं के आधार पर मानवीय क्रियाओं तथा व्यवहारों की व्याख्या करते रहे हैं, उन्हीं की सहायता से हम कुछ सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने का प्रयत्न करें। ऐसा करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारा ज्ञान एक संकुचित दायरे में ही सीमित रहेगा तथा हम नये ज्ञान का सृजन नहीं कर सकेंगे। इसके निराकरण के रूप में कुछ विद्वान यह मानते हैं कि वैज्ञानिक अनुसन्धान का तात्पर्य अनुभवसिद्ध तथ्यों (Empirical Facts) को ज्ञात करके निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन के आधार पर मानव व्यवहार से सम्बन्धित सामान्य नियमों को ढूँढ़ना है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसन्धान का सम्बन्ध सैद्धान्तिक विश्लेषण से अधिक न होकर अनुभवसिद्ध ज्ञान से है।

वास्तविकता यह है कि आज जिन आधारों पर सामाजिक अनुसन्धान को विकसित किया जा रहा है, उनमें अवलोकन और सत्यापन पर आधारित अनुभवसिद्ध ज्ञान का महत्व अधिक है। सामाजिक अनुसन्धान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सर्वप्रथम किसी समस्या, व्यवहार अथवा घटना से सम्बन्धित आधारभूत तथ्यों का अवलोकन करके उसकी सामान्य प्रकृति को समझने का प्रयत्न करते

Scanned with CamScanner

हैं और तत्पश्चात् उन सामान्य कारणों अथवा नियमों को ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं जो एक विशेष घटना से सम्बन्धित कार्य-कारण के सम्बन्ध को स्पष्ट कर सकें। इस दृष्टिकोण से सामाजिक जीवन में व्याप्त नियमों एवं वास्तविक प्रवृत्तियों को खोज निकालना ही सामाजिक अनुसन्धान है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसन्धान एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को सामने रखकर नये सिद्धान्त का निर्माण किया जाता है अथवा वर्तमान दशाओं के अन्तर्गत पुराने सिद्धान्तों की सत्यता को समझने का प्रयत्न किया जाता है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक अनुसन्धान को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है—

बोगार्डस (E. S. Bogardus) के शब्दों में, "एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक अनुसन्धान है।"[1] इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसन्धान का तात्पर्य वैयक्तिक जीवन अथवा व्यक्तिगत क्रियाओं से नहीं होता बल्कि इसका सम्बन्ध समूह-व्यवहारों एवं सामूहिक जीवन से है।

मोजर (C. A. Moser) के अनुसार, "सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन को ही हम सामाजिक अनुसन्धान कहते हैं।"[2] इस परिभाषा में मोजर ने सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत कुछ व्यवस्थित स्तरों को महत्वपूर्ण माना है जिनका उल्लेख हम बाद में करेंगे।

फिशर (G. M. Fisher) ने लिखा है कि "किसी समस्या को हल करने अथवा एक परिकल्पना की परीक्षा करने अथवा नयी घटना या नये सम्बन्धों को खोजने के उद्देश्य से सामाजिक परिस्थितियों में उपयुक्त कार्य-विधि का प्रयोग करना ही सामाजिक अनुसन्धान है।"[3]

श्रीमती पी. वी. यंग (P. V. Young) के अनुसार, "सामाजिक अनुसन्धान को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नये तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक सम्बन्धों, कार्य-कारण की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।"[4]

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुसन्धान का तात्पर्य केवल नये सिद्धान्तों का निर्माण करना ही नहीं होता बल्कि जब कभी भी पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता को जानने अथवा विभिन्न घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों को जानने का प्रयत्न किया जाता है तो ऐसे सभी प्रयत्नों की व्यवस्थित प्रणाली को ही हम अनुसन्धान के नाम से सम्बोधित करते हैं। इस दृष्टिकोण से वैज्ञानिक अनुसन्धान की वास्तविक प्रकृति को इसकी **निम्नांकित विशेषताओं** की सहायता से समझा जा सकता है—

(1) अनुसन्धान का तात्पर्य वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग द्वारा विभिन्न घटनाओं तथा मानव व्यवहारों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना है।

(2) सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के वैज्ञानिक अथवा व्यवस्थित अध्ययन मात्र को ही सामाजिक अनुसन्धान नहीं कहा जाता बल्कि इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान का सृजन करना भी होता है।

(3) सामाजिक अनुसन्धान इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी सामाजिक घटना पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं होती बल्कि कुछ अन्य घटनाओं से सम्बन्धित होती है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं में निहित कार्य-कारण के सम्बन्ध को ज्ञात करना है।

(4) सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत नये तथ्यों की खोज करने के साथ ही पुराने तथ्यों अथवा पूर्व-स्थापित सिद्धान्तों की पुनर्परीक्षा और सत्यापन का कार्य भी किया जाता है।

---

1 "Social research is the investigation of underlying processes operative in the lives of persons who are in association."
—E. S. Bogardus, *Sociology*, p. 543.

2 "Systematized investigation to gain new knowledge about social phenomena and problems, we call social research."
—C. A. Moser, *Survey Methods in Social Investigations*, p. 3.

3 "Social research is the application of exact procedures to a social situation for the purpose of solving a problem or testing a hypothesis or discovering a new phenomena or new relations among phenomena."
—G. M. Fisher, in Fairchild's *Dictionary of Sociology*.

4 "Social research may be a defined as a scientific undertaking, which by means of logical and systematized method, aims to discover new facts or verify and test old facts, analyse their sequence, inter-relationships, causal explanation and the natural laws which govern them."
—P. V. Young, *Scientific Social Surveys and Research*, p. 44.

Scanned with CamScanner

(5) सामाजिक अनुसन्धान एक ऐसी पद्धति है जिसका कार्य किसी उपकल्पना (Hypothesis) की उपयुक्तता की जाँच करना अथवा उसका परीक्षण करना है।

(6) आधारभूत रूप से सामाजिक अनुसन्धान एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

(7) सामाजिक अनुसन्धान केवल कुछ विशेष पद्धतियों, प्रविधियों तथा उपकरणों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध नई प्रविधियों के समुचित विकास से भी है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसन्धान एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा सामूहिक जीवन में व्याप्त विभिन्न प्रकार की घटनाओं की प्रकृति, उनके अन्तर्सम्बन्धों तथा उनमें अन्तर्निहित प्रक्रियाओं का पक्षपातरहित रूप से विश्लेषण करके एक सामान्य सिद्धान्त अथवा प्रवृत्ति को ज्ञात किया जा सके।

सामाजिक अनुसन्धान के उद्देश्य
(OBJECTIVES OF SOCIAL RESEARCH)

प्रत्येक मानवीय प्रयास के मूल में कोई-न-कोई प्रयोजन अथवा उद्देश्य अवश्य निहित होता है। सामाजिक अनुसन्धान भी एक ऐसा ही प्रयास है जिसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर आधारित तथ्यों का संकलन, विश्लेषण, निर्वचन, सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना है। यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाये, तो **पी. वी. यंग** के शब्दों में कहा जा सकता है कि **सामाजिक अनुसन्धान का प्राथमिक उद्देश्य तत्कालीन या दीर्घकालीन सामाजिक जीवन को समझकर उस पर अपेक्षाकृत अधिक नियन्त्रण स्थापित करना है। पी. वी. यंग** (P. V. Young) के अनुसार, "सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य अस्पष्ट सामाजिक घटनाओं को स्पष्ट रूप देना, अनिश्चित तथ्यों को निश्चित रूप प्रदान करना तथा सामाजिक जीवन की भ्रान्त धारणाओं से सम्बन्धित तथ्यों को संशोधित करना है।"[1] **सेलटिज, जहोदा** तथा **उनके सहयोगियों** (Selltize, Jahoda and Others)[2] के अनुसार सामाजिक अनुसन्धान के दो उद्देश्य प्रमुख हैं—बौद्धिक (Intellectual) तथा व्यावहारिक (Practical)। इस आधार पर सामाजिक अनुसन्धान के उद्देश्यों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(1) सैद्धान्तिक अथवा बौद्धिक उद्देश्य तथा (2) व्यावहारिक अथवा उपयोगितावादी उद्देश्य।

(1) सैद्धान्तिक अथवा बौद्धिक उद्देश्य (Theoretical Objectives)

सभी अनुसन्धान कार्यों का मूल उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना अथवा अज्ञान की जानकारी प्राप्त करना होता है। सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य भी इस दृष्टिकोण से उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना है जिनके द्वारा सामाजिक घटनाओं की आन्तरिक प्रकृति को समझा जा सके। एक सामाजिक अनुसन्धानकर्ता मुख्यत: इसलिए अनुसन्धान कार्य करता है जिससे वह सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, तथ्यों तथा समस्याओं से सम्बन्धित वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसा करते समय वह यह नहीं देखता कि किसी विशेष तथ्य से समाज को लाभ हो रहा है अथवा हानि, बल्कि उसका उद्देश्य इस अर्थ में केवल वैज्ञानिक होता है कि वह निष्कर्षों की चिन्ता किये बिना केवल ज्ञान के संचय के प्रयास में लगा रहता है। ऐसा करते समय अनुसन्धानकर्ता के सामने तीन लक्ष्य प्रमुख होते हैं—(1) अज्ञात तथ्यों की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना, (2) अनुसन्धान द्वारा उन तथ्यों के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म अवलोकन करना तथा (3) विभिन्न तथ्यों के बीच पाये जाने वाले सामान्य तत्वों को ढूँढ़कर उनकी व्यवस्थित रूप से व्याख्या करना। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य केवल नये सिद्धान्तों का निर्माण करना ही नहीं होता बल्कि पुराने सिद्धान्तों का नई परिस्थितियों में सत्यापन करना भी होता है। इसके अतिरिक्त, सैद्धान्तिक उद्देश्य का तात्पर्य यह भी है कि अनुसन्धानकर्ता द्वारा विभिन्न सामाजिक घटनाओं और तथ्यों के बीच पाये जाने वाले प्रकार्यात्मक सम्बन्धों (Functional Relationship) की खोज की जाये तथा उन स्वाभाविक नियमों को ढूँढ़ निकाला जाये जिनके द्वारा सामाजिक घटनाएँ निर्देशित तथा नियन्त्रित होती हैं। इस दृष्टिकोण से **पी. वी. यंग** ने लिखा है कि सामाजिक अनुसन्धान का एक उद्देश्य अनुभवसिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रस्तुत करना तथा उन्हें विकसित करना है।[3] उदाहरण के

1 P. V. Young, *op. cit.*, p. 30.
2 C. Selltize, Marie Jahoda and Others, *Research Methods in Social Relations*, p. 4.
3 P. V. Young, *op. cit.*, p. 31.

Scanned with CamScanner

लिए, जब हम जाति व्यवस्था से सम्बन्धित वर्तमान प्रक्रियाओं का अध्ययन करके उनके आधार पर संस्कृतीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रभु-जाति जैसी अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं तो यह कार्य सामाजिक अनुसन्धान के सैद्धान्तिक उद्देश्य को ही स्पष्ट करता है।

(2) व्यावहारिक अथवा उपयोगितावादी उद्देश्य (Applied or Utilitarian Objectives)

सामाजिक अनुसन्धान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य व्यावहारिक अथवा उपयोगितावादी है। इस उद्देश्य का सम्बन्ध मनुष्य की उस स्वाभाविक इच्छा से है जिसके द्वारा वह उपयोगी ज्ञान का संचय करके अपने कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक पूरा कर सके।[1] इसका तात्पर्य यह है कि एक अनुसन्धानकर्ता सामाजिक जीवन तथा सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए केवल सिद्धान्त ही प्रस्तुत नहीं करता बल्कि ऐसे सुझाव भी प्रस्तुत करता है जिनके द्वारा सामाजिक जीवन को अधिक स्वस्थ बनाया जा सके। वास्तविकता यह है कि कोई भी वह ज्ञान व्यर्थ है जिसका व्यावहारिक उपयोग न किया जा सके। **एकॉफ** (R. L. Ackoff) ने लिखा है कि जो व्यक्ति अनुसन्धान से प्राप्त निष्कर्षों को अपने तक ही सीमित रखता है, वह वास्तव में वैज्ञानिक नहीं होता। विज्ञान अनिवार्य रूप से सार्वजनिक होता है।[2] इसका तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक ज्ञान केवल तभी सार्थक हो सकता है जब यह उपयोगितावादी हो अथवा इससे दूसरे लोग लाभ उठा सकें। आधुनिक समय में जबकि सामाजिक परिवर्तन की तीव्रता के कारण अधिकांश समाजों में विघटनकारी प्रक्रियाएँ क्रियाशील हो रही हैं, यह आवश्यक हो गया है कि अनुसन्धान के द्वारा उन तथ्यों की खोज की जाये जिनकी सहायता से सामाजिक समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इस दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करके उनके निराकरण के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना है। केवल इसी दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक संघर्षों, तनावों, अपराधों एवं अन्य समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिल सकती है। एक अनुसन्धानकर्ता ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्याओं को समझकर ही ऐसे सुझाव दे सकता है जिनसे विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसी प्रकार सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा अपराध सम्बन्धी उपयोगी सिद्धान्तों का निर्माण करके जेल व्यवस्था, कानूनों एवं दण्ड व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। सामाजिक अनुसन्धान द्वारा सामाजिक घटनाओं में व्याप्त कार्य-कारण सम्बन्ध को ज्ञात करके यह पता लगाया जा सकता है कि किसी विशेष घटना के घटित होने का वास्तविक कारण क्या है ? यही ज्ञान समाज-सुधारकों तथा प्रशासकों को कार्य करने की एक नई दिशा दे सकता है। इस दृष्टिकोण से "एक सामाजिक अनुसन्धानकर्ता का प्राथमिक उद्देश्य, चाहे वह दूरवर्ती हो अथवा तात्कालिक, सामाजिक व्यवहारों तथा सामाजिक जीवन को समझकर उन पर अधिक-से-अधिक नियन्त्रण स्थापित करना है।"[3]

वास्तव में, सामाजिक अनुसन्धान के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक उद्देश्य एक-दूसरे से पृथक् न होकर एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसन्धान का उद्देश्य चाहे सैद्धान्तिक हो अथवा व्यावहारिक, प्रत्येक अनुसन्धान कार्य मानव कल्याण में वृद्धि करता है। **पी. वी. यंग** ने लिखा है कि एक जीवशास्त्री जो सैद्धान्तिक उद्देश्य को लेकर किसी औषधि की खोज नहीं करता बल्कि केवल मानव कोशाणुओं की संरचना, इनके संवर्द्धन के नियमों, स्वास्थ्य तथा रोग से सम्बन्धित नियमों की ही व्याख्या करता है, वह भी उन व्यक्तियों के कार्य में अत्यधिक सहायक होता है जो स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए उपयोगी औषधियों का निर्माण करने में रुचि रखते हैं। इसी तरह प्रत्येक सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा उन आधारभूत नियमों एवं प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है जिनका सामाजिक जीवन को स्वस्थ बनाने में विशेष योगदान है। दूसरे शब्दों में, व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति भी सैद्धान्तिक उद्देश्यों में ही निहित रहती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसन्धान के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक उद्देश्यों में से किसी को भी दूसरे की अपेक्षा अधिक अथवा कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

---

1 Selltize, Jahoda and Others, *op. cit.*, p. 4.1.

2 R. L. Ackoff, *The Design of Social Research*, p. 15.

3 "A researcher's primary goal, distant or immediate, is to explore and gain an understanding of human behaviour and social life, and thereby gain a greater control over them."
—P. V. Young, *op. cit.*, p. 30

Scanned with CamScanner

सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन-क्षेत्र (SCOPE OF SOCIAL RESEARCH)

सामाजिक अनुसन्धान अथवा सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति का अध्ययन करते समय एक मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन-क्षेत्र क्या है ? अथवा यह कि सामाजिक अनुसन्धान किन विषयों के अध्ययन से सम्बन्धित है ? एक ओर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन-क्षेत्र सम्पूर्ण सामाजिक जीवन तथा सामाजिक प्रक्रियाओं तक विस्तृत है, जबकि अनेक दूसरे विद्वानों ने इसे कुछ विशेष भागों में वर्गीकृत करके स्पष्ट किया है। इस सम्बन्ध में **कार्ल पियर्सन** का कथन है कि "सामाजिक अनुसन्धान का क्षेत्र वास्तव में असीमित है तथा इससे सम्बन्धित विषय-सामग्री भी अनन्त है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक सामाजिक घटना, सामाजिक जीवन का प्रत्येक पक्ष अतीत तथा वर्तमान का प्रत्येक स्तर सामाजिक अनुसन्धान के लिए एक नवीन विषय-सामग्री प्रस्तुत करता है।"[1] **पी. वी. यंग** ने सामाजिक अनुसन्धान के अध्ययन-क्षेत्र को कुछ प्रमुख भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है।[2] अध्ययन की सरलता के लिए यंग द्वारा दी गयी विवेचना के आधार पर सामाजिक अनुसन्धान के अध्ययन-क्षेत्र को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है—

(1) **सामाजिक जीवन की संरचना तथा प्रकार्यों से सम्बन्धित अनुसन्धान** (Researches Related to the Structure and Functions of Social Life)—इस श्रेणी के अन्तर्गत वे सभी अनुसन्धान-कार्य आते हैं जिनका सम्बन्ध सामाजिक जीवन की संरचना को बनाने वाली विभिन्न इकाइयों तथा उनके विभिन्न प्रकार्यों से है। ऐसे अनुसन्धान का उद्देश्य किन्हीं विशेष समूहों, समुदायों अथवा संस्थाओं की संरचना का अध्ययन करना होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों अथवा तत्वों का अध्ययन करते समय जहाँ एक ओर यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि एक विशेष सामाजिक संरचना में उनकी स्थिति क्या है, वहीं यह भी देखा जाता है कि वे इकाइयाँ किन कार्यों के आधार पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसके फलस्वरूप किसी भी विशेष सामाजिक संरचना अथवा उपसंरचना की सम्पूर्ण प्रकृति को समझना सम्भव हो जाता है। भारत में विभिन्न जनजातियों, ग्रामीण समुदायों, कृषक समाज तथा जाति व्यवस्था आदि से सम्बन्धित जो अनुसन्धान कार्य किये गये हैं, वे इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। **चार्ल्स कूले** (Charles Cooley), **थॉमस तथा जैनिनकी** (Thomas and Znaniecki), **रेडक्लिफ ब्राउन** (R. Brown) तथा **इमाइल दुर्खीम** (E. Durkheim) द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य भी इसी श्रेणी से सम्बन्धित हैं। सामाजिक जीवन की संरचना तथा प्रकार्यों से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यों की संख्या आज सम्भवत: सबसे अधिक है। इनके द्वारा विभिन्न समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा परिवर्तनशील विशेषताओं का ही अध्ययन सम्भव नहीं है बल्कि इनकी सहायता से सामाजिक जीवन से सम्बद्ध नयी प्रवृत्तियों को भी ज्ञात किया जा सकता है।

(2) **नये सिद्धान्तों के प्रतिपादन से सम्बन्धित अनुसन्धान** (Researches Related to New Principles)—सामाजिक अनुसन्धान का क्षेत्र उन विषयों के अध्ययन से भी सम्बन्धित है जिनकी सहायता से अध्ययन के नये आयामों को ढूँढ़ा जा सके तथा नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा सके। इस प्रकार के अनुसन्धान-कार्य मुख्यत: अनुभवसिद्ध तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा उनका उद्देश्य किसी विषय से सम्बन्धित भावी प्रवृत्तियों को ज्ञात करना होता है। उदाहरण के लिए, भारत में जेल सुधार, बाल-अपराध, अपराधी व्यवहारों, परिवार व्यवस्था, अन्तर्जातीय विवाहों, आधुनिकीकरण से सम्बन्धित प्रवृत्तियों तथा पुनर्वास से सम्बन्धित जो अनुसन्धान कार्य किये गये हैं, उनमें से अधिकांश अनुसन्धान कार्यों का उद्देश्य नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके यह ज्ञात करना है कि कुछ विशेष प्रक्रियाएँ अथवा प्रयत्न भविष्य में एक विशेष सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। वास्तविकता यह है कि ऐसे अनुसन्धान कार्यों का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक होता है तथा इनके लिए एक गहन अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता होती है।

1 Karl Pearson, *The Grammar of Science*, p. 16.
2 P. V. Young, *op. cit.*, pp. 34-98.

Scanned with CamScanner

(3) पुराने सिद्धान्तों के सत्यापन से सम्बन्धित अनुसन्धान (Researches Related to the Verification of Old Theories)—सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा केवल नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही नहीं किया जाता बल्कि इसके द्वारा कभी-कभी पुराने सिद्धान्तों की जाँच भी की जाती है। सच तो यह है कि सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी नियम पूर्णतया स्थिर और अन्तिम नहीं होता। जब कभी भी सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होता है तो पूर्व-निर्धारित सिद्धान्त भी उपयोगी नहीं रह जाते। ऐसी दशा में अनेक अनुसन्धान-कार्य यह जानने के लिए किये जाते हैं कि पहले बनाये गये सिद्धान्त वर्तमान दशाओं में किस सीमा तक उपयोगी रह गये हैं। उदाहरण के लिए **स्टीनले हॉल** (Stanley Hall) ने कुछ समय पहले यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया था कि किशोरावस्था में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव और तूफान की दशा में से गुजरना पड़ता है। इसके पश्चात् इस सिद्धान्त की सार्थकता का परीक्षण करने के लिए **मारग्रेट मीड** (Margaret Mead) ने जब समोआ जनजाति की अविवाहित लड़कियों के यौनिक जीवन और मनोवैज्ञानिक दशाओं का अध्ययन किया तो यह स्पष्ट हुआ कि किशोरावस्था में मिलने वाली यौनिक स्वतन्त्रता के कारण उन्हें अपनी किशोर आयु में किसी भी तरह के तनाव का सामना करना नहीं पड़ता।[1] इससे यह स्पष्ट हुआ कि परिवर्तित दशाओं में "आयु के किसी भी स्तर में विभिन्न प्रकार के तनावों का सम्बन्ध मानसिक दशाओं की अपेक्षा सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं से कहीं अधिक है।" इससे स्पष्ट होता है कि जब कभी भी पुराने सिद्धान्तों की पुनर्परीक्षा करने के लिए सामाजिक अनुसन्धान किये जाते हैं तो इससे न केवल सामाजिक अनुसन्धान के क्षेत्र का विस्तार होता है बल्कि नये सिद्धान्त भी स्वयं ही प्रकाश में आ जाते हैं।

(4) द्वितीयक तथ्यों पर आधारित अनुसन्धान (Researches Based on Secondary Data)—अनेक सामाजिक अनुसन्धान इस प्रकार के होते हैं जिनमें किसी पृथक् सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जाता बल्कि विद्यमान सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही द्वितीयक तथ्य एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। ऐसे अनुसन्धान-कार्य में ऐतिहासिक पद्धति की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए, यदि पूर्व-स्थापित सिद्धान्त यह हो कि 'एकाधिकारी सत्ता शोषण को प्रोत्साहन देती है' तो वर्तमान में पाये जाने वाले तथ्यों को एकत्रित करके हम पुनः यह प्रमाणित कर सकते हैं कि आर्थिक और राजनैतिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित होने के कारण शोषणकारी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है अथवा नहीं। इसी तरह बाल-अपराधियों से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करके इस निष्कर्ष को पुनः प्रमाणित किया जा सकता है कि टूटे हुए परिवार बाल-अपराध का सर्वप्रमुख कारण हैं अथवा नहीं। इस दृष्टिकोण से ऐसे अनुसन्धान कार्यों का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो जनसंख्या, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन तथा मानव व्यवहारों आदि के सम्बन्ध में वर्तमान सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही भावी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने के लिए किये गये हैं।

(5) प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित अनुसन्धान (Researches Based on Experimental Method)—सामाजिक अनुसन्धान का एक उल्लेखनीय क्षेत्र प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित अनुसन्धान कार्यों से सम्बन्धित है। आज यह स्वीकार किया जाने लगा है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समाज सामाजिक विज्ञानों में भी प्रयोगात्मक अनुसन्धान कार्य सम्भव हैं। **चैपिन** (Chapin) का कथन है कि जब किसी विशेष समस्या से सम्बन्धित कारकों को ज्ञात करने में अवलोकन उपयोगी नहीं रह जाता है तब समाज वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे प्रयोग का आश्रय लेकर सत्यता को जानने का प्रयत्न करें।[2] ऐसे अनुसन्धान-कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न दशाओं में से एक या दो दशाओं को नियन्त्रित करके उन पर दूसरी परिवर्तनशील दशाओं की इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, **प्रदीप्तो रॉय** ने ग्रामीणों के बीच रेडियो कार्यक्रमों के प्रभाव को देखने के लिए इसी प्रकार के अनुसन्धान किये हैं। यह एच है कि अनेक सामाजिक घटनाओं को किसी प्रयोग के लिए पूरी तरह नियन्त्रित नहीं किया जा सकता लेकिन इस स्थिति में भी दो या दो से अधिक तथ्यों के बीच तुलना करके एक सामान्य प्रवृत्ति को स्पष्ट किया जा सकता है।

1 Margaret Mead, *Coming of Age in Samoa*, p. 210.
2 Chapin, *Experimental Designs in Sociological Research*, p. 18.

Scanned with CamScanner

सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन-क्षेत्र (SCOPE OF SOCIAL RESEARCH)

सामाजिक अनुसन्धान अथवा सामाजिक अनुसन्धान की प्रकृति का अध्ययन करते समय एक मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन-क्षेत्र क्या है ? अथवा यह कि सामाजिक अनुसन्धान किन विषयों के अध्ययन से सम्बन्धित है ? एक ओर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन-क्षेत्र सम्पूर्ण सामाजिक जीवन तथा सामाजिक प्रक्रियाओं तक विस्तृत है, जबकि अनेक दूसरे विद्वानों ने इसे कुछ विशेष भागों में वर्गीकृत करके स्पष्ट किया है। इस सम्बन्ध में **कार्ल पियर्सन** का कथन है कि "सामाजिक अनुसन्धान का क्षेत्र वास्तव में असीमित है तथा इससे सम्बन्धित विषय-सामग्री भी अनन्त है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक सामाजिक घटना, सामाजिक जीवन का प्रत्येक पक्ष अतीत तथा वर्तमान का प्रत्येक स्तर सामाजिक अनुसन्धान के लिए एक नवीन विषय-सामग्री प्रस्तुत करता है।"[1] **पी. वी. यंग** ने सामाजिक अनुसन्धान के अध्ययन-क्षेत्र को कुछ प्रमुख भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है।[2] अध्ययन की सरलता के लिए यंग द्वारा दी गयी विवेचना के आधार पर सामाजिक अनुसन्धान के अध्ययन-क्षेत्र को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है—

(1) **सामाजिक जीवन की संरचना तथा प्रकार्यों से सम्बन्धित अनुसन्धान** (Researches Related to the Structure and Functions of Social Life)—इस श्रेणी के अन्तर्गत वे सभी अनुसन्धान-कार्य आते हैं जिनका सम्बन्ध सामाजिक जीवन की संरचना को बनाने वाली विभिन्न इकाइयों तथा उनके विभिन्न प्रकार्यों से है। ऐसे अनुसन्धान का उद्देश्य किन्हीं विशेष समूहों, समुदायों अथवा संस्थाओं की संरचना का अध्ययन करना होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों अथवा तत्वों का अध्ययन करते समय जहाँ एक ओर यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि एक विशेष सामाजिक संरचना में उनकी स्थिति क्या है, वहीं यह भी देखा जाता है कि वे इकाइयाँ किन कार्यों के आधार पर एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसके फलस्वरूप किसी भी विशेष सामाजिक संरचना अथवा उपसंरचना की सम्पूर्ण प्रकृति को समझना सम्भव हो जाता है। भारत में विभिन्न जनजातियों, ग्रामीण समुदायों, कृषक समाज तथा जाति व्यवस्था आदि से सम्बन्धित जो अनुसन्धान कार्य किये गये हैं, वे इसी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। **चार्ल्स कूले** (Charles Cooley), **थॉमस** तथा **जैनिनकी** (Thomas and Znaniecki), **रेडक्लिफ ब्राउन** (R. Brown) तथा **इमाइल दुर्खीम** (E. Durkheim) द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य भी इसी श्रेणी से सम्बन्धित हैं। सामाजिक जीवन की संरचना तथा प्रकार्यों से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यों की संख्या आज सम्भवत: सबसे अधिक है। इनके द्वारा विभिन्न समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों तथा परिवर्तनशील विशेषताओं का ही अध्ययन सम्भव नहीं है बल्कि इनकी सहायता से सामाजिक जीवन से सम्बद्ध नयी प्रवृत्तियों को भी ज्ञात किया जा सकता है।

(2) **नये सिद्धान्तों के प्रतिपादन से सम्बन्धित अनुसन्धान** (Researches Related to New Principles)—सामाजिक अनुसन्धान का क्षेत्र उन विषयों के अध्ययन से भी सम्बन्धित है जिनकी सहायता से अध्ययन के नये आयामों को ढूँढ़ा जा सके तथा नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा सके। इस प्रकार के अनुसन्धान-कार्य मुख्यत: अनुभवसिद्ध तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा उनका उद्देश्य किसी विषय से सम्बन्धित भावी प्रवृत्तियों को ज्ञात करना होता है। उदाहरण के लिए, भारत में जेल सुधार, बाल-अपराध, अपराधी व्यवहारों, परिवार व्यवस्था, अन्तर्जातीय विवाहों, आधुनिकीकरण से सम्बन्धित प्रवृत्तियों तथा पुनर्वास से सम्बन्धित जो अनुसन्धान कार्य किये गये हैं, उनमें से अधिकांश अनुसन्धान कार्यों का उद्देश्य नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके यह ज्ञात करना है कि कुछ विशेष प्रक्रियाएँ अथवा प्रयत्न भविष्य में एक विशेष सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। वास्तविकता यह है कि ऐसे अनुसन्धान कार्यों का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक होता है तथा इनके लिए एक गहन अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता होती है।

1 Karl Pearson, *The Grammar of Science*, p. 16.
2 P. V. Young, *op. cit.*, pp. 34-98.

Scanned with CamScanner

(3) **पुराने सिद्धान्तों के सत्यापन से सम्बन्धित अनुसन्धान** (Researches Related to the Verification of Old Theories)—सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा केवल नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही नहीं किया जाता बल्कि इसके द्वारा कभी-कभी पुराने सिद्धान्तों की जाँच भी की जाती है। सच तो यह है कि सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी नियम पूर्णतया स्थिर और अन्तिम नहीं होता। जब कभी भी सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होता है तो पूर्व-निर्धारित सिद्धान्त भी उपयोगी नहीं रह जाते। ऐसी दशा में अनेक अनुसन्धान-कार्य यह जानने के लिए किये जाते हैं कि पहले बनाये गये सिद्धान्त वर्तमान दशाओं में किस सीमा तक उपयोगी रह गये हैं। उदाहरण के लिए **स्टीनले हॉल** (Stanley Hall) ने कुछ समय पहले यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया था कि किशोरावस्था में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव और तूफान की दशा में से गुजरना पड़ता है। इसके पश्चात् इस सिद्धान्त की सार्थकता का परीक्षण करने के लिए **मारग्रेट मीड** (Margaret Mead) ने जब समोआ जनजाति की अविवाहित लड़कियों के यौनिक जीवन और मनोवैज्ञानिक दशाओं का अध्ययन किया तो यह स्पष्ट हुआ कि किशोरावस्था में मिलने वाली यौनिक स्वतन्त्रता के कारण उन्हें अपनी किशोर आयु में किसी भी तरह के तनाव का सामना करना नहीं पड़ता।[1] इससे यह स्पष्ट हुआ कि परिवर्तित दशाओं में "आयु के किसी भी स्तर में विभिन्न प्रकार के तनावों का सम्बन्ध मानसिक दशाओं की अपेक्षा सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं से कहीं अधिक है।" इससे स्पष्ट होता है कि जब कभी भी पुराने सिद्धान्तों की पुनर्परीक्षा करने के लिए सामाजिक अनुसन्धान किये जाते हैं तो इससे न केवल सामाजिक अनुसन्धान के क्षेत्र का विस्तार होता है बल्कि नये सिद्धान्त भी स्वयं ही प्रकाश में आ जाते हैं।

(4) **द्वितीयक तथ्यों पर आधारित अनुसन्धान** (Researches Based on Secondary Data)—अनेक सामाजिक अनुसन्धान इस प्रकार के होते हैं जिनमें किसी पृथक् सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जाता बल्कि विद्यमान सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही द्वितीयक तथ्य एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। ऐसे अनुसन्धान-कार्य में ऐतिहासिक पद्धति की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए, यदि पूर्व-स्थापित सिद्धान्त यह हो कि 'एकाधिकारी सत्ता शोषण को प्रोत्साहन देती है' तो वर्तमान में पाये जाने वाले तथ्यों को एकत्रित करके हम पुनः यह प्रमाणित कर सकते हैं कि आर्थिक और राजनैतिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित होने के कारण शोषणकारी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है अथवा नहीं। इसी तरह बाल-अपराधियों से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करके इस निष्कर्ष को पुनः प्रमाणित किया जा सकता है कि टूटे हुए परिवार बाल-अपराध का सर्वप्रमुख कारण हैं अथवा नहीं। इस दृष्टिकोण से ऐसे अनुसन्धान कार्यों का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो जनसंख्या, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन तथा मानव व्यवहारों आदि के सम्बन्ध में वर्तमान सिद्धान्तों के अन्तर्गत ही भावी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने के लिए किये गये हैं।

(5) **प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित अनुसन्धान** (Researches Based on Experimental Method)—सामाजिक अनुसन्धान का एक उल्लेखनीय क्षेत्र प्रयोगात्मक पद्धति पर आधारित अनुसन्धान कार्यों से सम्बन्धित है। आज यह स्वीकार किया जाने लगा है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान सामाजिक विज्ञानों में भी प्रयोगात्मक अनुसन्धान कार्य सम्भव हैं। **चैपिन** (Chapin) का कथन है कि जब किसी विशेष समस्या से सम्बन्धित कारकों को ज्ञात करने में अवलोकन उपयोगी नहीं रह जाता है तब समाज वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे प्रयोग का आश्रय लेकर सत्यता को जानने का प्रयत्न करें।[2] ऐसे अनुसन्धान-कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न दशाओं में से एक या दो दशाओं को नियन्त्रित करके उन पर दूसरी परिवर्तनशील दशाओं की इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, **प्रदीप्तो रॉय** ने ग्रामीणों के बीच रेडियो कार्यक्रमों के प्रभाव को देखने के लिए इसी प्रकार के अनुसन्धान किये हैं। यह एच है कि अनेक सामाजिक घटनाओं को किसी प्रयोग के लिए पूरी तरह नियन्त्रित नहीं किया जा सकता लेकिन इस स्थिति में भी दो या दो से अधिक तथ्यों के बीच तुलना करके एक सामान्य प्रवृत्ति को स्पष्ट किया जा सकता है।

1 Margaret Mead, *Coming of Age in Samoa*, p. 210.
2 Chapin, *Experimental Designs in Sociological Research*, p. 18.

Scanned with CamScanner

सामाजिक अनुसन्धान के उपर्युक्त क्षेत्रों से स्पष्ट होता है कि आज सामाजिक अनुसन्धान का क्षेत्र निरन्तर व्यापक होता जा रहा है। सच तो यह है कि आज सामाजिक जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर अनुसन्धान-कार्य करना सम्भव न हो। इस दृष्टिकोण से **अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी** ने उन अनेक अध्ययन विषयों का उल्लेख किया है जो सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत आते हैं—

1. मानव व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का अध्ययन।
2. विभिन्न समूहों तथा जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन।
3. परिवार की प्रकृति, पारिवारिक संगठन एवं विघटन से सम्बन्धित नियमों का अध्ययन।
4. सामाजिक संगठन तथा विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन।
5. सामुदायिक परिस्थितियों का अध्ययन।
6. ग्रामीण समुदायों, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण पारिस्थितिकी, ग्रामीण व्यक्तित्व एवं ग्रामीण संस्थाओं का अध्ययन।
7. सामूहिक व्यवहार का अध्ययन जिसके अन्तर्गत संचार के विभिन्न साधनों, प्रचार, जनमत, चुनाव, युद्ध तथा क्रान्ति आदि से सम्बन्धित अध्ययनों का भी समावेश।
8. समाज में पायी जाने वाली सहयोगी तथा असहयोगी प्रक्रियाओं का अध्ययन। इसके अन्तर्गत धर्म, शिक्षा, कानूनों, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक विकास आदि का अध्ययन भी आता है।
9. विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं, व्याधिकीय दशाओं तथा सामाजिक अनुकूलन का अध्ययन।
10. पुराने सिद्धान्तों तथा पद्धतियों की पुनः परीक्षा एवं नये सिद्धान्तों और नई पद्धतियों की खोज से सम्बन्धित अध्ययन।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आज सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन-क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आ जाता है। कुछ समाज-वैज्ञानिक सामाजिक अनुसन्धान के अध्ययन-क्षेत्र का निर्धारण करते समय केवल नवीन और विशिष्ट विषयों को ही मान्यता देने के पक्ष में हैं, लेकिन इससे सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन-क्षेत्र बहुत प्रकार की प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं तथा व्यवहारों का समावेश होता है। स्वयं सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बहुत गतिशील होने के कारण भी सामाजिक अनुसन्धान का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। भविष्य में जैसे-जैसे सामाजिक अनुसन्धान की नई-नई पद्धतियाँ और प्रविधियाँ विकसित होती जायेंगी, सामाजिक अनुसन्धान का क्षेत्र भी व्यापक होता जायेगा।

सामाजिक अनुसन्धान के चरण
(STEPS IN SOCIAL RESEARCH)

वास्तविकता यह है कि सामाजिक अनुसन्धान एक जटिल प्रक्रिया है। कोई अनुसन्धान-कार्य तभी सफल हो सकता है जब एक अनुसन्धानकर्ता व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अनुसन्धान के प्रमुख चरणों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करे। वैज्ञानिक अनुसन्धान से सम्बन्धित प्रमुख चरण निम्नांकित हैं—

(1) **विषय का चुनाव** (Selection of the Subject)—अनुसन्धान का सबसे पहला चरण अनुसन्धानकर्ता द्वारा अत्यधिक सावधानीपूर्वक अध्ययन-विषय का चुनाव करना है। विषय का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अध्ययन-विषय ऐसा हो जिस पर निश्चित समय में उपलब्ध उपकरणों की सहायता से अध्ययन-कार्य को पूरा किया जा सके। इस सम्बन्ध में **पी. वी. यंग** ने चार विशेष सावधानियों का उल्लेख किया है[1]—(1) विषय ऐसा हो जिसको समझने की अनुसन्धानकर्ता में योग्यता हो तथा जिससे सम्बन्धित अध्ययन एक निश्चित समय में पूरा किया जा सके। (2) यदि उस विषय से सम्बन्धित कोई अन्य अनुसन्धान-कार्य न किये गये हों तो विषय का अध्ययन-क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। (3) यह ध्यान रखना आवश्यक है कि चुने

1 P. V. Young, *op. cit.*, p. 129.

Scanned with CamScanner

गये विषय का अध्ययन उपलब्ध प्रविधियों की सहायता से सम्भव है अथवा नहीं तथा (4) यह भी देखना आवश्यक है कि उस विषय पर अनुसन्धान करने से किस सीमा तक यथार्थ निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विषय का चयन नहीं करना चाहिए जिससे सम्बन्धित प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध न हो सकें अथवा जिससे सम्बन्धित अध्ययन के लिए कुशल पद्धतियाँ उपलब्ध न हों।

(2) **सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन** (Review of Literature)—अनुसन्धानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह चुने गये अनुसन्धान विषय के सम्बन्ध में उन सभी विचारों, पद्धतियों, कठिनाइयों एवं निष्कर्षों का अध्ययन करे जो उससे पूर्व के अध्ययनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये हों। अनुसन्धान से सम्बन्धित साहित्य का आरम्भ में ही अध्ययन कर लेने से अनुसन्धानकर्ता के लिए न केवल एक दिशा मिल जाती है बल्कि वह उन उपागमों में से भी परिचित हो जाता है जिनकी सहायता से अनुसन्धान-कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके। अनुसन्धान से सम्बन्धित साहित्य अनेक प्रकार के प्रलेखों, लेखों, पत्रों, पुस्तकों तथा प्रतिवेदनों से प्राप्त हो सकता है। **पी. वी. यंग** का कथन है कि अनुसन्धान-विषय से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने से अध्ययनकर्ता को अनेक लाभ होते हैं—(1) सर्वप्रथम, इससे अध्ययनकर्ता को ऐसी अन्तर्दृष्टि मिल जाती है जिससे वह सही प्रश्न करके उत्तरदाताओं से सूचनाएँ प्राप्त कर सके। (2) साहित्य के अध्ययन से अनेक ऐसी पद्धतियों और प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है जिन पर हो सकता है कि अध्ययनकर्ता ने पहले विचार न किया हो। (3) इससे अवधारणाओं को समझने में सहायता मिलती है तथा अनेक मान्यताओं का सत्यापन करने के तरीकों का ज्ञान हो जाता है। (4) अन्त में, साहित्य के अध्ययन से तथ्यों की आवश्यक पुनरावृत्ति की सम्भावना कम हो जाती है तथा अध्ययन कहीं अधिक व्यवस्थित बन जाता है।[1]

(3) **इकाइयों का निर्धारण तथा स्पष्टीकरण** (Determination and Defining of Units)—अध्ययन से सम्बन्धित इकाइयों का स्पष्टीकरण केवल तथ्यों के संकलन में ही सहायक नहीं होता बल्कि इससे उनका विवेचन और प्रस्तुतीकरण करना भी सरल हो जाता है। यदि इकाइयों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता तो प्रत्येक अध्ययनकर्ता और दूसरे लोग उसका अलग-अलग अर्थ लगा सकते हैं जिससे अध्ययन की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, अध्ययन से सम्बन्धित अनेक शब्द, जैसे—शिक्षित, निर्धन, धार्मिक, श्रमिक, कृषक वर्ग आदि बाहरी तौर पर बहुत सरल शब्द मालूम होते हैं लेकिन विभिन्न व्यक्ति इनका भिन्न-भिन्न अर्थ लगा सकते हैं। इसी कारण **पी. वी. यंग** ने लिखा है, "प्रयोग में लाये जाने वाले शब्द स्पष्ट और सुपरिभाषित होने चाहिए तथा उनका चयन इस तरह होना चाहिए जिससे वे सम्पूर्ण समग्र से अपनी समरूपता को स्पष्ट कर सकें।" इकाइयों का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह अध्ययन के उद्देश्य से सम्बन्धित हों तथा उनका क्षेत्र पूर्णतया स्पष्ट हो।

(4) **परिकल्पना का निर्माण** (Formation of Hypothesis)—परिकल्पना अध्ययन के आरम्भ में ही लिया जाने वाला एक ऐसा सामान्य निष्कर्ष है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा बाद में एकत्रित किये गये तथ्यों के आधार पर की जाती है। परिकल्पना की सहायता से ही अनुसन्धानकर्ता को अध्ययन से सम्बन्धित वास्तविक दिशा प्राप्त होती है तथा अनुसन्धानकर्ता इधर-उधर भटकने से बच जाता है। यह सच है कि कुछ विशेष प्रकार के अनुसन्धान-कार्यों विशेषकर प्रयोगात्मक अनुसन्धान में परिकल्पना का महत्व अपेक्षाकृत रूप से कम होता है लेकिन फिर भी यह अनुसन्धान का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है।

(5) **अध्ययन-क्षेत्र का निर्माण** (Determining of Scope)—अनुसन्धान के अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने अध्ययन से सम्बन्धित क्षेत्र का स्पष्ट रूप से निर्धारण कर ले। अध्ययन-क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिससे सम्बन्धित तथ्यों का संकलन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जा सके। अध्ययन-क्षेत्र का आकार न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। बहुत छोटे आकार के अध्ययन से उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त कर सकना बहुत कठिन होता है,

1 P. V. Young, *op. cit.*, p. 139.

Scanned with CamScanner

जबकि आवश्यकता से अधिक बड़े अध्ययन-क्षेत्र पर आधारित अनुसन्धान में एक निश्चित समय के अन्दर कार्य को पूरा कर सकना कठिन हो जाता है।

(6) **सूचनादाताओं का चयन** (Selection of Respondents)—अध्ययन-क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात् अनुसन्धान का आगामी चरण उन सूचनादाताओं का चयन करना है जिससे विभिन्न प्रकार के तथ्य प्राप्त किये जा सकें। अध्ययन-क्षत्र छोटा होने पर सूचनादाताओं का चयन जनगणना पद्धति (Census Method) द्वारा तथा अध्ययन-क्षेत्र बड़ा होने पर निदर्शन पद्धति (Sampling Method) के द्वारा किया जा सकता है। विभिन्न विधियों की सहायता से ऐसे सूचनादाताओं का चयन करना उपयोगी होता है जो समग्र के सभी पक्षों का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व कर सकें। सूचनादाताओं की संख्या अध्ययन-विषय को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। साधारणतया एक वैयक्तिक अनुसन्धान में कम-से-कम 250 तथा अधिक से अधिक 500 सूचनादाताओं का चयन करना अच्छा समझा जाता है।

(7) **सूचना के स्रोतों का निर्धारण** (Determination of Sources of Informations)—सूचना के यह स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं—प्राथमिक (Primary) अथवा क्षेत्रीय तथा द्वितीयक अथवा प्रलेखीय (Secondary or Documentary)। प्राथमिक स्रोत वे हैं जिनसे एक अनुसन्धानकर्ता स्वयं ही और प्रथम बार सूचनाएँ एकत्रित करता है। द्वितीयक स्रोत वे हैं जो पहले से ही दूसरे व्यक्तियों द्वारा संकलित तथ्य प्रदान करते हैं। इस दृष्टिकोण से सभी अभिलेख, प्रतिवेदन, गजेटियर, पुस्तकें, पाण्डुलिपियाँ, पत्र-पत्रिकाएँ तथा अनुसन्धान-ग्रन्थ आदि सूचना के द्वितीयक स्रोत हैं। सभी अनुसन्धान-कार्यों में साधारणतया प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

(8) **अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण** (Determination of Tools and Techniques)—इस स्तर पर अनुसन्धानकर्ता के लिए उन उपकरणों तथा प्रविधियों का निर्धारण करना आवश्यक है जिनके उपयोग से विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों का संकलन किया जा सके। इन प्रविधियों का चुनाव सदैव समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसी स्तर पर विभिन्न उपकरणों और प्रविधियों के उपयोग को स्पष्ट करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि इनके समुचित उपयोग से ही सही तथ्यों का संकलन करना सम्भव है। उदाहरण के लिए, अनुसूची, प्रश्नावली, निदर्शन, अवलोकन तथा साक्षात्कार आदि अनुसन्धान की कुछ प्रमुख प्रविधियाँ हैं जिनके समुचित प्रयोग से ही विश्वसनीय सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती हैं।

(9) **उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व-परीक्षण** (Pre-testing of the Tools and Techniques)—अनुसन्धानकर्ता के लिए यह आवश्यक होता है कि वह वास्तविक अनुसन्धान-कार्य आरम्भ करने से पहले अपने अध्ययन से सम्बन्धित सभी उपकरणों एवं प्रविधियों को एक छोटे से क्षेत्र पर लागू करके उनके दोषों को ज्ञात करने और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे। इस दृष्टिकोण से पूर्व-परीक्षण एक तरह का 'पद्धतिशास्त्रीय पूर्वाभ्यास' है। **एकॉफ** (Ackoff) का कथन है, "पूर्व-परीक्षण अनुसन्धान के विभिन्न पक्षों, उपकरणों अथवा आयोजन के विकल्पों का एक नियन्त्रित अध्ययन है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कौन-सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है।"[1] पूर्व-परीक्षण के द्वारा अध्ययन से सम्बन्धित उपकरणों और प्रविधियों में आवश्यकतानुसार सुधार करने के साथ उनकी उपयोगिता की भी जाँच की जा सकती है।

(10) **तथ्यों का एकत्रीकरण** (Collection of Data)—इस स्तर पर यह आवश्यक होता है कि तथ्यों को पक्षपातरहित होकर एकत्रित किया जाय तथा ऐसा करते समय व्यक्तिगत धारणाओं और पूर्वाग्रहों को कोई महत्व न दिया जाय। तथ्यों को उसी रूप में एकत्रित करना आवश्यक है जैसे कि वे वास्तव में हों। तथ्यों के संकलन में शुद्धता न होने पर सभी निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। तथ्यों के एकीकरण के लिए प्रत्येक दशा में सूचनादाताओं द्वारा दी गयी सूचनाएँ ही पर्याप्त नहीं होतीं बल्कि यह विश्वास अब दृढ़ होता जा रहा है कि तथ्यों के संकलन के लिए अवलोकन

1 R. L. Ackoff, *The Design of Social Research*, p. 340.

Scanned with CamScanner

का भी विशेष महत्व है। इसके बाद भी अवलोकन द्वारा यथार्थ तथ्यों को एकत्रित करना तभी सम्भव हो पाता है जब अध्ययनकर्ता निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त हो।

(11) **तथ्यों का सम्पादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन** (Editing, Coding, Classification and Tabulation of Data)—तथ्यों के **सम्पादन** का अभिप्राय एकत्रित तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करके उनमें दिखायी देने वाली अशुद्धियों, त्रुटियों और कमियों को यथासम्भव दूर करना है। **संकेतन** के अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता व्याख्यात्मक उत्तरों को अनेक संकेतों, प्रतीकों तथा अंकों की सहायता से संक्षिप्त और व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करता है। **वर्गीकरण** से तात्पर्य समान प्रकृति के तथ्यों को एक-एक वर्ग में विभाजित करने से है। वर्गीकरण के आधार पर ही विभिन्न घटनाओं अथवा दशाओं के बीच तुलना करना और उनके सह-सम्बन्ध को ज्ञात करना सम्भव होता है। **सारणीयन** का तात्पर्य विभिन्न तथ्यों को संख्यात्मक रूप में अनेक पदों में इस प्रकार व्यवस्थित करना होता है जिससे एक विशेष वर्ग से सम्बन्धित बहुत-सी संख्याओं अथवा विशेषताओं को संक्षिप्त सारणियों के द्वारा समझा जा सके।

(12) **तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण** (Statistical Analysis of Data)—अनुसन्धान के दौरान एक अध्ययनकर्ता को अनेक ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिनकी केन्द्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करना, विभिन्न तथ्यों के तुलनात्मक महत्व को देखना तथा तथ्यों के बीच सह-सम्बन्ध को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए माध्य, मध्यांक, बहुलांक, मानक विचलन तथा सह-सम्बन्ध आदि अनेक सांख्यिकीय विधियाँ हैं जिनकी सहायता से तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसे विश्लेषण से तथ्यों को बहुत संक्षिप्त एवं सरल रूप से प्रस्तुत करना सम्भव हो जाता है।

(13) **तथ्यों का विश्लेषण तथा विवेचन** (Analysis and Interpretation of Data)—अध्ययन से सम्बन्धित तथ्य केवल कच्चे माल की तरह होते हैं लेकिन विश्लेषण और विवेचन के द्वारा ही उन्हें व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है। तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन का सम्बन्ध प्राप्त तथ्यों का अर्थ स्पष्ट करने तथा उपकल्पना पर प्रकाश डालने से होता है। विभिन्न तथ्यों के बीच कार्य-कारण का सम्बन्ध भी इसी स्तर पर स्पष्ट किया जाता है।

(14) **प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण** (Presentation of Report)—अनुसन्धान का यह सबसे अन्तिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। प्रतिवेदन के माध्यम से ही एक अनुसन्धानकर्ता अनुसन्धान से सम्बन्धित सभी तथ्यों को व्यवस्थित रूप से जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुसन्धान-प्रतिवेदन मुख्यतः तीन भागों में विभाजित होना आवश्यक है। प्रथम भाग में **पद्धतिशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य** एवं अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। दूसरा भाग सबसे अधिक विस्तृत है जिसके अन्तर्गत अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित तथ्यों के **कारणात्मक सम्बन्ध** की व्याख्या की जाती है। तीसरे भाग में प्राप्त तथ्यों के आधार पर **सामान्य निष्कर्ष** प्रस्तुत किये जाते हैं। इसी को हम **सामान्यीकरण** (Generalization) अथवा **सैद्धान्तीकरण** (Theorization) कहते हैं। अनुसन्धान प्रतिवेदन की भाषा बहुत वैज्ञानिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना आवश्यक है। इस स्तर पर प्रतिवेदन से सम्बन्धित निष्कर्षों की वैज्ञानिकता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है क्योंकि यही सम्पूर्ण अनुसन्धान की आत्मा है और यही इसका अन्तिम उद्देश्य भी। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय महत्वपूर्ण सांख्यिकीय तथ्यों को विभिन्न प्रकार के चित्रों द्वारा प्रस्तुत करना उपयोगी होता है जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसके अभिप्राय को समझ सकें। विभिन्न तथ्यों की विवेचना में जिन द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें पाद-टिप्पणी के रूप में दे दिया जाता है। प्रतिवेदन के अन्त में अध्ययन-विषय से सम्बन्धित दूसरे अध्ययनों को स्पष्ट करने के लिए एक सन्दर्भ सूची (Bibliography) देना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, कुछ महत्वपूर्ण लेकिन लम्बी तालिकाओं एवं प्रश्नावली के प्रारूप आदि को परिशिष्ट (Appendix) के रूप में दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान एक लम्बी प्रक्रिया है तथा इसके प्रत्येक स्तर पर अनुसन्धानकर्ता के लिए अनेक सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

Scanned with CamScanner